

FORM NO. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली  
कृपाल सिंह डागुर (सामाजिक कार्यकर्ता) ग्रा.पो. ढिढोरा, तह0 हिण्डौन, जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली – रेस्पोंडेण्ट  
मु.नं. 29/19 किस्म मुकदमा-अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 तार.रजु 13.11.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11. 2019	<p>अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर "ग्राम पंचायत ढिढोरा तहसील हिण्डौन में प्रार्थी के दिनांक 24.07.2019 के प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित फोटो प्रति की सूचना चाही गयी थी"। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।</p> <p>अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p>प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली</p>	

